



विवरण ।						
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम तथा क्रेडिट के क्षेत्रीय परिनियोजन पर तिमाही विवरण						
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम _____ की स्थिति के अनुसार						
बैंक का नाम						
(अ) समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीएसी)	रु.	हज़ार				
(आ)(क) कुल तुलन पत्र से इतर ऋण राशि (ओबीई)	रु.	हज़ार				
(ख) ओबीई के समतुल्य ऋण राशि	रु.	हज़ार				
(इ) कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का उधार	रु.	हज़ार				
(ई) कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, समायोजित बैंक निवल ऋण (एएनएनबीसी) या तुलन पत्र से इतर के समतुल्य ऋण राशिके रूप में प्रतिशत, जो भी अधिक हो						
(उ) कमजोर वर्ग को कुल प्राथमिकता प्राप्त उधार का समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन पत्र से इतर के समतुल्य ऋण राशि के रूप में प्रतिशत जो भी अधिक हो						
पिछले वर्ष की इसी तारीख पर कुल बकाया राशि	रु.	हज़ार				
खातों की संख्या वास्तविक हो और राशि हजारों में						
क्रम सं.	वर्ग	तिमाही के दौरान संवितरण		तिमाही के दौरान बकाया शेष राशि		
		खातों की सं.	संवितरित राशि	खातों की सं.	लाभार्थियों की सं.	बकाया राशि
1	प्राथमिकता क्षेत्र					
I	कृषि					
।ए	फार्म ऋण					
(i)	फसल ऋण					
(ii)	निवेश क्रेडिट					
	उपर्युक्त (ii) में से कृषि गतिविधियां एवं उपकरणों को दिए गए ऋण					
(iii)	संबंधित कार्यकलाप					
क	मत्स्यपालन					
ख	डेरी उद्योग					
ग	मुर्गीपालन					
घ	पशुपालन					
ड.	मधु-मक्खीपालन					
च	रेशम उद्योग					



छ	अन्य संबंधित कार्यकलाप					
(iv)	अन्य कृषि ऋण					
Iबी	कृषि बुनियादी संरचना					
Iसी	सहायक गतिविधियां					
	कृषि में से छोटे और सीमांत किसानों को ऋण					
	कृषि में से अन्य व्यक्तिगत कृषकों को ऋण					
	कृषि में से कारपोरेट कृषकों, कृषकों के उत्पाद के संगठनों, व्यक्तिगत किसानों की कंपनियों और साझेदारी फर्म जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण					
	उपर्युक्त कृषि के अलावा, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण (Agro-processing) के लिए ऋण					
II	एमएसएमई (i)+(ii)+(iii)+(iv)					
(i)	सूक्ष्म उद्यम					
(क)	विनिर्माण उद्यम					
(ख)	सेवा उद्यम					
(ii)	लघु उद्यम					
(क)	विनिर्माण उद्यम					
(ख)	सेवा उद्यम					
(iii)	मध्यम उद्यम					
(क)	विनिर्माण उद्यम					
(ख)	सेवा उद्यम					
(iv)	केवीआई को अग्रिम (जिसमें एमएसएमई को दिए गए अन्य वित्त)					
	उपर्युक्त (i) में से पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दिए जाने वाले ओवरड्राफ्ट को ऋण					
III	निर्यात क्रेडिट					
IV	शिक्षा ऋण					
V	आवास					
VI	सामाजिक बुनियादी संरचना					
VII	नवीकरणीय उर्जा					
VIII	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 'अन्य' वर्ग					
2	कमज़ोर वर्गों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र					



	से अंतर्गत ऋण					
	कमज़ोर वर्गों में से पीडबल्यूडी को ऋण					
3	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण					
I	कृषि					
II	एमएसएमई (सेवा)					
(i)	सूक्ष्म उद्यम(सेवा)					
(ii)	लघु उद्यम (सेवा)					
(iii)	मध्यम उद्यम (सेवा)					
III	शिक्षा ऋण					
IV	आवास					
V	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण					
VI	अन्य गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र					
4	कुल ऋण					

* संशोधित दिशानिर्देशों के पूर्व मंजूर किए गए सूक्ष्म क्रेडिट के अंतर्गत बकाया ऋणों को यहां शामिल किया जाए।